राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1517 व 1518/2015.............................जिला...........जयपुर..

उनवान – मैसर्स सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, कान्टेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, सम्भाग–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/09/2015	**खण्डपीठ कैम्प–जयपुर** **श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष** **श्री ईश्वरीलाल वर्मा, सदस्य** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर के द्वारा कमांक अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.स. 281/15–16 व 280/15.16 में पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कायम मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि निष्पादित संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.06.06 से आच्छादित है। अपीलार्थी को 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये हुए है इन कर मुक्ति प्रमाण पत्र को संशोधित किये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की मांग कायम नहीं की जा सकती है। अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय प्राधिकारी ने मांग राशि कमशः रू0 1,07,87,386/– व 78,69,231/–में से कमशः रू0 64,72,431/– व 47,21,538/–की राशि पर तो रोक लगा दी परन्तु शेष वसूली राशि कमशः रू0 43,14,955/– व 31,47,693/– पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये कोई कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग राशियां की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया विवादित मांग की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक, रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के चार माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। 28-9-2015 -3-9-2 **(ईश्वरीलाल वर्मा)** **(बी के मीणा)** **सदस्य** **अध्यक्ष**	